अपील सूचना अधिकार संख्या 163/2020 (RCMS 2020/00286) संदीप कुमार पुत्र रमेश चन्द्रजी निवासी मकान नम्बर 36(ए), रेल्वे मण्डी, होशियारपुर–146001 (पंजाब) बनाम 1 प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.07.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी संदीप कुमार उपस्थित नहीं है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी श्री संदीप कुमार** ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 12.10.2020 प्रस्तुत करके छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री संदीप कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.10.2020 के द्वारा अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः

1. उपायुक्त (राहत एवं पुर्नवास), राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कागड़ा (हिमाचल प्रदेश) का पत्रांक 3232 दिनांक 09.10.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
2. उपायुक्त (राहत एवं पुर्नवास), राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) का पंत्राक 3232 दिनांक 09.10.2015 की अनुपालना में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
3. उपखण्ड अधिकारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.) का पीए/2020/3858 दिनांक 04.09.2020 व 3896 दिनांक 11.09.2020 की प्रमाणित प्रतिलपि उपलब्ध करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. उपखण्ड़ अधिकारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.) का पीए/2020/3858 दिनांक 04.09.2020 व 3896 दिनांक 11.09.2020 के क्रम में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप–धारा (1) और उप–धारा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में आपसे सम्बन्धित द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
6. आपसे सम्बन्धित के द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड़ (ख) के अनुसरण में 17 बिन्दु के आलोक मे, की गई कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ 41(5)( )राजस्व/2020/3489 दिनांक 19.11.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

क्र. सं.	मांगी गयी सूचना	सूचना की स्थिति
1.	उपायुक्त (राहत एवं पुर्नवास), राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कागड़ा (हिमाचल प्रदेश) का पत्रांक 323 दिनांक 09.10.2015 प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।	उक्त पत्र उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को संबोधित है, इस कार्यालय को यह पत्र संबोधित नही है। आपके प्रार्थना पत्र की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को प्रेषित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2.	उपायुक्त (राहत एवं पुर्नवास), राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) का पंत्राक 3232 दिनांक 09.10.2015 की अनुपालना में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।	यह पत्र उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को संबोधित है, इसलिए इस कार्यालय से इस पत्र में कार्यवाही नही हुई है। आपके प्रार्थना पत्र की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को प्रेषित।
3.	उपखण्ड अधिकारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.) का पीए/2020/3858 दिनांक 04.09.2020 व 3896 दिनांक 11.09.2020 की प्रमाणित प्रतिलपि उपलब्ध करावे।	उपखण्ड अधिकारी, घडसाना जिला श्रीगंगानगर (राज.) के पत्रांक पीए/2020/3658 दिनांक 04.09.2020 व 3896 दिनांक 11.09.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न पत्र है।
4.	उपखण्ड अधिकारी,घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.) का पीए/2020/3858 दिनांक 04.09.2020 व 3896 दिनांक 11.09.2020 के क्रम में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।	उक्त दोनों पत्रों के क्रम में हुई कार्यवाही से संबधित इस कार्यालय की पत्रावली संख्या एफ12(2)(28/70)राजस्व/2012 की नोट शीट के पैरा संख्या 34/एन से 50/एन तक व इस कार्यवाही के पश्चात आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर को व विधि प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा/उपायुक्त राजा का तालाब, कांगडा/ उपखण्ड अधिकारी, घड़साना/आप को जारी पंत्राक 2736–40 दिनांक [illegible].09.2020 की प्रमाणित प्रति सलंग्न पत्र है।

-sd-
प्रभारी अधिकारी
सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:38 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा बिन्दु संख्या 01 से 02 का सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से सम्बन्धित होने के कारण अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र उन्हें प्रेषित किया है और बिन्दु संख्या 3 व 4 की सूचना उसे उपलब्ध करवा दी है किन्तु बिन्दु संख्या 5 व 6 के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई आज दिनांक तक कोई जवाब नहीं दिया गया है जबकि इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

> **<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:38 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि लोक सूचना अधि[illegible] अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र के बिन्दु [illegible] सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय [illegible] लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए बिन्दु संख्या 05 व 06 के सम्बन्ध में प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के बिन्दु संख्या 01 व 02 का सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से होने के कारण अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ 41(5)( )राजस्व/2020/3487 दिनांक 19.11.2020 से उपखण्ड अधिकारी, अनूगपढ को प्रेषित किया जा चुका है इसलिए अपीलार्थी बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से प्राप्त कर सकता है और उनके द्वारा सूचना उपलबब्ध करवाने की दशा में उनके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र होगा एवं बिन्दु संख्य 03 व 04 की सूचना अपीलार्थी को पूर्व में ही उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 5 व 6 की सूचनाओं के सम्बन्ध में 10 दिवस में निमयानुसार निर्णय करें। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर** को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:38 IST
Reason: SelfAttested